

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुनीता रावत	प्रधान सहायक	नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून	चमोली/चमोली	स्थानान्तरण एक्ट में विधवा कार्मिक को छूट के दृष्टिगत ऐच्छिक स्थान नहीं भरे गये हैं।	<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीने) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पांच)	सेवा पुस्तिका में अंकित मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति का विवरण एवं सेवा पुस्तिका क प्रथम पृष्ठ की प्रति।	स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17(1)(ख)(पांच) में विधवा कार्मिक को छूट होने के कारण प्रार्थिनी को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

04-5-26

नाम- सुनीता रावत


पदनाम- प्रधान सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


04/05/26


नाम- इं० ओमपाल सिंह

पदनाम-अधीक्षण अभियन्ता



अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2								
क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री प्रताप राम	प्रधान सहायक	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल।	पिथौरागढ़/ गंगोलीहाट	पत्नी की चिकित्सा के आधार पर आपके पत्रांक-461/05 व्यख स्थानान्तरण/2024 के क्रम में दिनांक-10.06.2024 को द्वितीय वृत्त में योगदान दिया गया। वर्तमान में प्रार्थी दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु इच्छुक नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी को इस वृत्त द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल में यथावत् रखने की महति कृपा करें।	✓ धारा 17(1)(ख) के (एक) अनुसार-	मण्डलीय चिकित्सा परिषद का प्रमाण पत्र।	प्रार्थी की पत्नी कैंसर से पीड़ित है। अतः स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख) (एक) के अनुसार छूट प्रदान करने की कृपा करें।


हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम:- श्री प्रताप राम
पदनाम: प्रधान सहायक


हस्ताक्षर (कार्यालय अधीक्षण)
नाम:-इं. मनोहर सिंह
पदनाम:- अधीक्षण अभियन्ता

मण्डलीय चिकित्सा परिषद-नैनीताल।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रताप राम, प्रधान सहायक, कार्यालय - अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ। जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये जा रहे हैं, अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा आर्या, का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आज दिनांक 05.09.2023 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्रीमती पुष्पा आर्या, उम्र -48 वर्ष का स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल से कराया गया, साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र श्री रामनृति अस्पताल वरेली एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान गोमती नगर लखनऊ, से प्रदत्त है को संज्ञान में लिया गया।

परीक्षणोपरान्त इन्हें Pt is Papillary carcinoma of Thyroid F
Regional Lymph node metastasis Under treatment in
RML Bareilly she is Under treatment in
Thyroid RML Delhi

ह0 (श्रीमती पुष्पा आर्या,)

(श्री प्रताप राम,)

ह0 प्रमाणित: सी0एम0ओ0

मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल

Jana Ajeet
10/9/23
PRESIDENT
MEDICAL BOARD
NAINITAL

MEMBER
ON MEDICAL BOARD
NAINITAL

MEMBER
ON MEDICAL BOARD
NAINITAL

कार्यालय-मुख्य चिकित्साअधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक:- एम-5/2023-24

दिनांक:- 05 सितम्बर 2023

प्रतिलिपि- कार्यालय - अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ। को उनके पत्र दिनांक 30.08.2023 के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी
नैनीताल

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खड़क सिंह नेगी	प्रधान सहायक	द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल	अल्मोड़ा/ जैती	-	धारा के नाम के आगे लगायें <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पाँच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत सक्ष्यों का विवरण	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन "ख" वर्ग लो०नि०वि० देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं० 474/05 व्यख स्थानान्तरण /24 दिनोंक 10.06.2025 द्वारा मेरा स्थानान्तरण दुर्गम वृत्त द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल में किया गया था जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल में योगदान दिया गया। स्थानान्तरण के समय उक्त वृत्त सुगम था लगभग 09 माह 11 दिन व्यतीत होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण की पात्रता सुची में प्रार्थी का नाम अंकित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी दुर्गम में ही तैनात रहने का इच्छुक है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शासनादेश सं० I/130236/XXX (2)/2023/E-33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु 4 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छुट प्रदान की जा सकेगी किन्तु ऐसे कार्मिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो" का प्राविधान है। प्राविधान अनुसार प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 09 माह 011 दिन का समय ही हुआ है। अतः मुझे दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- खड़क सिंह नेगी
पदनाम- प्रधान सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- अधीक्षक अभियन्ता
पदनाम- द्वितीय वृत्त लो०नि०वि० नैनीताल

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

वृत्त का नाम-नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में।	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनोज भट्ट	प्रधान सहायक	8वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी	टिहरी/ टिहरी	1-8वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी	<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात) <input type="checkbox"/> धारा 17(2)(घ)	महोदय अधिनियम की धारा 17(1)के(ख)एक के आधार पर स्वयं की बिमारी के कारण(साक्ष्य)प्रद वृत्त मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण की छाया प्रति संलग्न है।	महोदय प्रार्थी विगत वर्षों से रीढ़ की हड्डी सम्बन्धित SPINAL DISE FTC 0 PIVD AT, L3, L4, L5 एवं C4 C5, C6, रोग से ग्रसित है, वर्तमान ऐ स्थिति में चलने-फिरने पर प्रार्थी को अत दर्द की असहनीय शिकायत होने पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा महोदय अधिनियम की धारा 17(1)के(ख)ए आधार पर स्वयं की बिमारी के कारण(साक्ष्य)प्रद वृत्त मेडिकल बोर्ड प्रमाण- छायाप्रति संलग्न है। महोदय वर्तमान में प्रार्थी उक्त बिमारी ग्रसित है, जिसका उपचार उच्च चिकित्सक कराया जा रहा है, जिस हेतु चिकित्सा उप प्रमाण-प्रति संलग्न है। अतः महोदय अनुरोध है कि प्रार्थी की शारीरिक परिस्थितियों के कारण प्रार्थी स्थानान्तरण से मुक्त करते हुये यथावत की महति कृपा कीजिएगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-मनोज भट्ट

पदनाम-प्रधान सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालय अधिकारी)

नाम-इं० के०एस०नेगी

पदनाम-अधीक्षण अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अतुल सिंह	प्रधान सहायक	छटा वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	टिहरी/ थत्थुड	1-नवम् वृत्त लो०नि०वि० देहरादून।	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> समायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वर्तमान में 9वां वृत्त लो०नि०वि० देहरादून में 1 प्रधान सहायक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रधान सहायक का पद रिक्त है। अतः अनुरोध है कि मेरी दुर्गम की सेवाओं को देखते हुए मेरा स्थानान्तरण 9वां वृत्त लो०नि०वि० देहरादून में रिक्त पद पर करने की कृपा करें।
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक)	प्रार्थना पत्र	
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीन)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पांच)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-अतुल सिंह

पदनाम-प्रधान सहायक

हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-इं० विजय कुमार

पदनाम-अधीक्षण अभियन्ता


अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का (प्रारूप-2)

क्र० सं०	नाम	पदनाम/ कर्मचारी कोड	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अरविन्द प्रसाद	प्रधान सहायक 42007756521	चतुर्थ वृत्त, लो० नि०वि०, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	पौड़ी/ श्रीनगर	1. अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार। 2. अधीक्षण अभियन्ता 9 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून। 3. अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० 10 वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून। 4. अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी। 5. अधीक्षण अभियन्ता 12 वां वृत्त, लो०नि०वि०, पौड़ी।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> 17(1) ख (एक) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (दो) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (तीन) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (चार) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (पांच) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (छः) <input type="checkbox"/> 17(1) ख (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण -----	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1) ख (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर प्रारूप (2) का संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी के छोटे-छोटे बच्चे हैं, और पत्नी का स्वास्थ्य भी अधिकतर खराब रहता है। प्रार्थी की माता जी भी प्रार्थी के साथ रहती है जिनकी उम्र लगभग 70 साल है और उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उनकी देखभाल भी प्रार्थी को ही करनी पड़ती है। अतः महोदय जी से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मेरा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) ख (एक) के अन्तर्गत मेरा स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर प्रारूप (2) में तथा अन्त में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) ख (सात) दिये गये विकल्पों के अन्तर्गत करने की कृपा करें, आपकी महति कृपा होगी।

नोट:- कॉलम संख्या 07 दर्शाया गया आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- अरविन्द प्रसाद
पदनाम-प्रधान सहायक
कार्यालय चतुर्थ वृत्त, लो०नि०वि०, रूद्रपुर



हस्ताक्षर (कार्यालय अधीक्षक)


नाम- इं० अनिल पांगती
पद- अधीक्षण अभियन्ता
चतुर्थ वृत्त, लो० नि० वि० विभाग
रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	सोबन सिंह रावत	प्रधान सहायक	12वें वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी	पौड़ी/श्रीनगर	वर्तमान में इसी वृत्त में रहने का इच्छुक हूँ।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(2)(घ)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण -	वृत्तीय कार्यालय मिनिस्टीरियल संघ जनपद पौड़ी गढ़वाल का द्विवार्षिक चुनाव सम्पन्न हुआ। उक्त चुनाव में कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों की सर्वसम्मति से प्रार्थी को गढ़वाल मण्डल का महामंत्री घोषित किया गया है। अतः प्रार्थी को धारा 17(2)(घ) के तहत इस वृत्त में यथावत रखने की कृपा कीजिएगा।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।



हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम- सोबन सिंह रावत
पदनाम- प्रधान सहायक



हस्ताक्षर (कर्मचालयाध्यक्ष)
नाम- एम.पी.एस. रावत
पदनाम- अधीक्षण अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिष्ठता क्रम में	एक्ट की धारा तिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	दीपक सिंह	प्रधान सहायक	प्रथम वृत्त, लो० नि० वि० अल्मोड़ा	तहसील-विधीरागढ़ जिला- विधीरागढ़	तृतीय वृत्त लो० नि० वि० विधीरागढ़.	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पाँच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः) ✓ <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वर्तमान में मेरा परिवार विधीरागढ़ में रह रहा है। मैं स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हूँ।

नोट- कौम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


 हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम-दीपक सिंह
 पदनाम-प्रधान सहायक


 04/05/26
 हस्ताक्षर (कार्यालयीय)
 नाम-ई० हरीश कुमार
 पदनाम-अधीक्षक अभियन्ता